थी और दिल्ली में इस प्रकार के कुछ प्लाटों को अलाट भी किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब केवल 25 वर्ग गज के प्लाटों को अलाट किया जा रहा है ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली वृहत योजना के अन्तर्गत 125/80 वर्ग गज से कम के किसी मकान को स्वीकृति नहीं दी जा सकती ; यदि हां, तो लोगों को 25 वर्ग गज के प्लाटों में रहने के लिए मजबूर करने से क्या कानून का उल्लंघन नहीं होगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में एक नई योजना बना रही है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । भूमि की कमी तथा जिन अनाधिवासियों को वैकल्पिक वास देना है उन की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें बड़े प्लाट देना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ). मास्टर प्लान में यह व्यवस्था है कि दो मंजिले, दो परिवारों के रिहायशी प्लाट का न्यूनतम आकार 125 वर्ग गज होना चाहिये । निम्न आय वर्ग के निम्न मूल्य के आवास तथा गंदी बस्ती पुनर्वास के मामले में प्लाट का न्यूनतम आकार 80 वर्ग गज होना चाहिए । अकेले परिवार के रिहायशी यूनिट के लिए प्लाट का न्यूनतम आकार नहीं दिया है । इस प्रकार 25 वर्ग गज की कैंपिंग साइट का आवंटन किसी नियम की भंगता नहीं है । इस संबंध में नीति के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Demolishing of Huts/Houses under J J. Scheme In Delhi

1979. SHRI RAM CHARAN :
SHRI NATHU RAM AHIRWAR :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING, AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the total number of huts/houses demolished in Delhi/New Delhi under J.J. Scheme of Delhi Development Authority during the last two years (upto 31 May, 1969) ;

(b) the number of plots, giving details of plots and their size, allotted to hut dwellers during the above period in various colonies under J.J. scheme in Delhi/New Delhi ;

(c) the number of plots still to be allotted to those whose huts/houses were demolished ; and

(d) the time by which the allotments would be made to them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING, AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) About 29000 jhuggies were demolished.

(b) 722 tenements, 6524 plots each of 25 square yards and 245 temporary shop plots each of 12½ square yards, were allotted in regular colonies. In camping sites, 9875 plots each of 22-1/2 square yards and 294 temporary shop plots were allotted.

(c) All those who possessed demolition slips and came for allotment were given allotment.

(d) Does not arise.

Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited

1980. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether the working result of the financial year ending 31st May, 1969 of